"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 435] रायपुर, शनिवार, दिनांक 26 नवम्बर 2016— अग्रहायण 5, शक 1938

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2016

शुद्धि-पत्र

क्रमांक एफ-9-5/2014/तक.शि./42. — छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 28 जनवरी, 2014 के पृष्ठ क्रमांक 93 में यथा प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान-नया रायपुर परिनियम संबंधी अधिसूचना क्रमांक एफ-9-5/2014/तक.शि./42, दिनांक 28 जनवरी, 2014 के हिन्दी पाठ में, शब्द "ये परिनियम अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान-नया रायपुर परिनियम कहलायेंगे", को "ये परिनियम अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान-नया रायपुर परिनियम, 2014 कहलायेंगे" पढ़ा जाये.

No. F-9-5/2014/TE/42.— In the English version of Notification No. F-9-5/2014/TE/42, dated 28th January, 2014 relating to "the Statutes of International Institue of Information Technology-Naya Raipur" as published in the Chhattisgarh Gazette (Extra Ordinary), dated 28th January, 2014, at page 94(5), for the words "These Statutes may be called the Statutes of International Institute of Information Technology-Naya Raipur", read "These Statutes may be called the Statutes of International Institute of Information Technology-Naya Raipur, 2014".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलकंठ टीकाम, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.